

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/ग्रुप-1/रा.का. 00002/2018


जयपुर, दिनांक:

18 SEP 2019

—आदेश—


विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.08.2019 द्वारा श्री रामनिवास शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ का अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी) जिला परिषद, चूरू के रिक्त पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है । श्री शर्मा अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी) जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

  
(राम नारायण बदनगर)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)  
E-mail dsadmn\_rdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज. राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवं चूरू ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू को प्रेषित कर लेख है कि श्री रामनिवास शर्मा को विभागीय आदेश दिनांक 20.08.2019 की अनुपालना में आप द्वारा अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है । आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री शर्मा को आज ही कार्यमुक्त कर अनुपालना रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करावें ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ ।
9. सम्बन्धित अभियन्ता श्री रामनिवास शर्मा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ में कार्यग्रहण कर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

  
(राजेश कुमार शर्मा)  
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)